<u>न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> मजिस्ट्रेट, अंजड् जिला –बड्वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण कमांक 425/2012 संस्थित दिनांक—28.09.2012

म.प्र. राज्य द्वारा—आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला बड़वानी

..... अभियोगी

वि रू द्व

इकबाल पिता तय्युब, उम्र 36 वर्ष, निवासी आजाद नगर अजड़, थाना अजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

...... अभियुक्त

राज्य द्वारा	_	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	_	श्री ए.जी.शेख अधिवक्ता।

_<u>--:: निर्णय ::--</u> (<u>आज दिनांक 28/02/2017 को घोषित</u>)

- 01. आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 222/12 के आधार पर दिनांक 21.08.2012 को शाम 07:30 बजे स्थान राजीव गांधी नगर के पास ग्राम बिलवा रोड़ लोकमार्ग पर वाहन आयशर द्रक क्रमांक एम.पी. 46 जी. 1645 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर सीमा उर्फ चीमा एवं कैलाश की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित करने जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के लिये भा.द.वि. की धारा— 304(ए) का अभियोग हैं।
- 02. प्ररकण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से मृतक सीमा उर्फ चीमा की पोस्टमार्ट रिपोर्ट प्रपी—13 भी स्वीकार की गई है इस प्रकार सीमा उर्फ चीमा की मृत्यू होना भी स्वीकृत हैं।
- 03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.08.12 को फरियादी मयुर पाटीदार अंजड़ से उसकी मोटरसाईकल से राजपुर जा रहा था। उसके पीछे मांगीलाल बैठा था। करीब शाम 7:30 बजे जैसे ही उसने बिलवा फाटा क्रास किया तो अंजड़ के कैलाश मानकर उसकी मोटरसाईकल से व उसके पीछे चीमा अंजड़ के उसको क्रास कर आगे की ओर आगे—आगे चलने लगे राजीव गांधी नगर पास राजपुर तरफ से एक आयशर वाला उसकी आयशर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और कैलाश की मोटरसाईकल को टक्कर मार दी और दोनो गिर गये। उन्होंने मोटरसाईकल रोककर कैलाश व चीमा को देखा तो दोनो के सिर, पैर, हाथ, मुंह एवं सीने में चोट थी। आरोपी इकबाल आयशर को वही छोड़ कर भाग गया। उन्होंने घायल कैलाश और चीमा को अस्पताल बड़वानी रवाना किया था। अस्पताल पहूंचे तो चीमा की मृत्यु हो गई। थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 222/12 दर्ज कर कैलाश का मेडिकल परीक्षण कराया तथा मृतका चीमा उर्फ सीमा के शव का परीक्षण कराया। इलाज के दौरान कैलाश की भी मृत्यु हो गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर आरोपी

से आयशर आयशर द्रक कमांक एम.पी. 46 जी. 1645 दस्तावेजों सहित जप्त की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

04. उक्त अनुसार आरोपी का भादवि की धारा— 304(ए) का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। दप्रस की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

05. <u>विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है:-</u>

₮.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 21.08.2012 को शाम 07:30 बजे स्थान राजीव गांधी नगर के पास ग्राम बिलवा रोड़ लोकमार्ग पर वाहन आयशर द्रक क्रमांक एम.पी. 46 जी. 1645 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर सीमा उर्फ चीमा तथा कैलाश की मृत्यु ऐसी परिस्थिति मे कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती?

—:<u>सकारण निष्कर्षः—</u>

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण :-

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में मयूर पाटीदार (असा.1), का कथन है 06. कि वह आरोपी को नही जानता है। घटना वर्ष 2012 की है। वह अपनी मोटरसाईकल से राजपुर से अंजड जा रहा थ। उसके साथ मोटरसाईकल के पीछे मांगीलाल बैठे थे। घटना शाम 7:30 बजे की है, दो व्यक्ति मोटरसाईकल से सड़क पर गिरे हुए थे और उन्हें चोट लगी हुई थी, तब उसने पुलिस थाना अंजड़ को घटना की सूचना दी थी। उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट प्रपी-1 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल प्रपी-2 का नक्शामौका बताया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उन दोनो विक्तयों की दुर्घटना कैसे हुई उसे इसकी जानकारी नही है। साक्षी को न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने देखा था कि एक आयशर के चालक ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर कैलाश की मोटरसाईकल को टक्कर मार दी जिससे कैलाश और चीमा गिर गये। उसने पुलिस को टक्कर मारने वाली वाहन आयशर द्रक कमांक एम.पी. 46 जी. 1645 नहीं बताया था। साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी—3 को पढ़ाकर सुनाने एवं समझाए जाने पर साक्षी ने पुलिस को उक्त कथन देने से तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भी उक्त बात लिखाने से भी इंकार किया हैं। साक्षी ने सुझाव से भी इंकार किया है कि घटना पुरानी होने से भूल गया है और आरोपी से मिलकर असत्य कथन कर रहा हैं।

07. मांगीलाल (असा.2) ने भी वर्ष 2012 में मयूर के साथ मोटरसाईकल से

राजपुर से अंजड़ जाने तथा मोटरसाईकल पर सवार 2 व्यक्तियों की दुर्घटना होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उन्हें किन व्यक्तियों ने टक्कर मारी उसने नहीं देखा फिर उसने उन 2 व्यक्तियों को अस्तपाल पहूंचाया और मयूर ने घटना की सूचना थाने पर दी। साक्षी को न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने देखा की मोटरसाईकल पर बैठे कैलाश और चीमा को आयशर के चालक को तेज गित से अयशार चलाकर टक्कर मार दी जिससे वे दोनो जमीन पर गिर गये। साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी—4 पढ़कर सुनाने समझाने पर साक्षी ने पुलिस को उक्त कथन देने से भी इंकार किया।

- 08. सुभद्रा (असा.3) ने अपने पित चीमा की दुर्घटना में 2 वर्ष पहले मृत्यु होने तथा भूरीबाई (असा.4) में अपने पित कैलाश की मोटरसाईकल दुर्घटना में 2 वर्ष पहले मृत्यु होने के संबंध में कथन किया हैं। उक्त दोनो ही साक्षीयों का कथन हैं कि उनके पित की मृत्यु किस वाहन दुर्घटना में हुई थी। उक्त दोनो की साक्षीयों से न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीयों ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उन्होंने पुलिस को यह बताया था कि उनके पित के दुर्घटना विनोद पाटीदार निवासी अंजड की वाहन दुर्घटना से हुई थी। यहां तक की साक्षीयों ने पुलिस कथन में भी उक्त बाते पुलिस को बताने से भी स्पष्ट इंकार किया है।
- 09. दिग्विजयसिंह (असा.5) का कथन है कि दिनांक 21.08.12 को उसे पुलिस चौकी अस्पताल बड़वानी में आहत सीमा पिता राजाराम निवासी अंजड़ की उपचार के दौरान मृत्यु होने के संबंध में प्रपी—6 की सूचना प्राप्त होने पर उसने सफीना फार्म प्रपी—7 का और लाश पंचायतनामा प्रपी—8 का बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जैयराम पाटीदार (असा.9) ने दिनांक 24.08.12 को अस्पताल चौकी एम.व्हाय अस्पताल इंदौर में मृतक कैलाश पिता गुलाब की मृत्यु सूचना प्रपी—11 की प्राप्त होने पर शव परीक्षण का आवेदन प्रपी—12 और प्रपी—9 का बनाने के संबंध में कथन किये हैं।
- 10. डॉ. रोहित (असा.6) ने दिनांक 24.08.12 को एम. व्हाय अस्पताल इंदौर में मृतक कैलाश पिता गुलाब के शव का परीक्षण कर प्रपी—9 का शव परीक्षण प्रतिवेदन बनाने के संबंध में कथन किये हैं।
- 11. गजेन्द्रसिंह (असा.9) ने दिनांक 23.08.12 को थाना अंजड़ पर मयूर पिता मिश्रीलाल पाटीदार की सूचना के आधार पर आयशर द्रक क्रमांक एमपी 46 जी 1645 के चालक इकबाल खतरी के विरूद्ध प्रपी—1 की रिपोर्ट दर्ज कराने और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये। साक्षी का यह भी कथन है कि अस्पताल से चीमा उर्फ सीमा और कैलाश की मृत्यु सूचना प्रपी—13 और 14 प्राप्त होने के संबंध में भी कथन किये हैं। बचाव पक्ष कि ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने पुलिस रिपोर्ट अपनी मर्जी से लेखबद्ध की थी।
- 12. दुलीचंद पाटीदार (असा.7) का कथन है कि दिनांक 23.08.12 को उसे थाना अंजड़ के अप.क. 222 / 12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी मयूर की निशांदेही से प्रपी—2 का नक्शामौका बनाने, आरोपी को गिरफ्तार करने तथा

आरोपी से आयशर मिनी द्रक क्रमांक एमपी 46 जी 1645 आरोपी की चालक अनुज्ञप्ति एवं दस्तावेज सिहत जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने फिरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये है। बचाव पक्ष कि ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि उसे किसी भी साक्षी ने आरोपी का नाम नहीं बताया था, अथवा आरोपी का नाम उसने अपने मन से लेखबद्ध किया हैं अथवा वह असत्य कथन कर रहा हैं।

- 13. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने घटना दिनांक, स्थान और समय पर आरोपी द्वारा उक्त वाहन आयशर द्रक क्रमांक एम.पी. 46 जी. 1645 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षपूर्ण तिरके से चलाकर कैलाश और चीमा की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं यहां तक की आरोपी की पहचान भी नहीं की और दुर्घटना कारित करने वाले वाहर का नंबर भी नहीं बताया हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है, तथा उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता।
- 14. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने मे पुर्णतः असफल रहा है।
- 15. अतः यह न्यायालय आरोपी इकबाल पिता तय्युब, उम्र 36 वर्ष, निवासी आजाद नगर अंजड़, थाना अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. को भा.द.वि. की धारा— 304(ए) के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है ।
- 16. आरोपी के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
- 17. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।
- 18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन आयशर द्रक क्रमांक एम.पी. 46 जी. 1645 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अविध निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. (श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.